बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक................................./पटना, दिनांक..
03/सह0ब0योजना (आवंटन)–02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषयः– **बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को राज्य सरकार की गारंटी पर नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध अंतर्गत प्राप्त राशि में से तृतीय एवं चतुर्थ किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2024–25 में निगम द्वारा किये गये भुगतान क्रमशः ₹ 1,46,66,047/– एवं ₹ 1,32,44,095/– अर्थात् कुल ₹ 2,79,10,142/– (दो करोड़ उन्नासी लाख दस हजार एक सौ बयालीस) मात्र के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–262, दिनांक–29.07.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता, उप शीर्ष–0011–बिहार राज्य भंडार निगम, विपत्र कोड– 09–2425001900011, विस्तृत शीर्ष–33–सब्सिडी, विषय शीर्ष–01 सब्सिडी, मद में ₹ 2,79,10,142/– (दो करोड़ उनासी लाख दस हजार एक सौ बयालीस) का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं0–227/वि0, दिनांक–28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या–02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–235/वि0 दिनांक–01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–................................/पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स0स0, बिहार, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–31 (आ0)/पटना, दिनांक–01/08/2025

प्रतिलिपिः– उप निबंधक, सहयोग समितियाँ–सह–सहायक परामर्शी (योजना), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.25

सरकार के अपर सचिव।